भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1667
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय योजनाएं

1667. श्री जी. सेल्वम:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विशेषकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में विफल रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि जारी और उपयोग की गई;
(ग) क्या इन योजनाओं के कार्यन्वयन के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले कई गैर-सरकारी संगठन फर्जी पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के प्रमाण पत्र और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अपनाए गए मानदंडों / मापदंडों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) क्या सरकार इन योजनाओं के विज्ञापन के लिए मशहूर हस्तियों को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : कुशल कार्यान्वयन और बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश में महिलाओं और बच्चों के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी स्कीमों को तीन वर्टिकल अर्थात (1) बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं के लिए पोषण सहायता और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति(3) बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में संगठित किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों अर्थात मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के तहत निर्मुक्त और प्रयुक्त धनराशि **अनुलग्नक** में दी गई है।

मंत्रालय की सभी स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। मंत्रालय एनजीओ को कोई धन स्वीकृत नहीं करता है।

(ड.) : जी, नहीं।

*****

अनुलग्नक

'महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय योजनाएं' विषय पर श्री जी. सेल्वम, श्रीमती मंजुलता मंडल, श्री गजानन कीर्तिकर, श्री धनुष एम. कुमार और श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1667 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए स्कीमों के तहत निर्मुक्त और प्रयुक्त धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	मिशन का नाम	स्कीम का नाम	वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निर्मुक्त/प्रयुक्त निधियां		वित्त वर्ष 2020-21 के लिए निर्मुक्त/प्रयुक्त निधियां		वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्मुक्त/प्रयुक्त निधियां	
			निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1.	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	क. आंगनवाड़ी सेवा स्कीम	1612013.41	1730432.2	1578835.1	1655669.2	1820324.7	देय नहीं
		ख. पोषण अभियान	171458.77	-**	20844.66	-**	14597.59	357277.66**
2.	शक्ति	क. वन स्टॉप सेंटर	13785.65	4888.29	15992.94	4914.40	14635.91	5147.48
		ख. महिला हैल्पलाइन	1168.15	1028.56	1252.86	1151.62	1453.10	187.96
		ग.बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	6003.49	7409.85	5329.94	4639.31	5710.76	2176.13
		घ. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना*	220304.00	353705.00	107937.00	250723.00	162842.00	195296.00
		ड. सखी निवास	3254.76	1241.91	1950.78	1010.49	1203.76	507.38
		च. शक्ति सदन – स्वाधार गृह	2137.21	1402.95	2433.26	1071.61	1809.72	1265.58
		छ. शक्ति सदन – उज्ज्वला गृह	853.00	329.00	790.00	65.00	27.00	देय नहीं
3.	वात्सल्य		74546.32	68212.89	70977.53	68736.15	63546.23	62147.60

*प्रयुक्त धनराशि में केंद्रीय और राज्य दोनों शेयर शामिल हैं

** 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार सभी तीन वर्षों के लिए कुल उपयोग